

ख म	हुकम या कार्यावाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामीर में जारी हुए
12.17	<p>पत्रावली आज पेश हुई। अपीलार्थी अनुपस्थित है। का. ललबाना पुनः पेश करी पत्रावली बाद लामिला आगामी तारीख पेशी 16.2.18 को पेश हो।</p>	<p>1578-1579 22.12.17</p>
	<p>पीठासीन अधिकारी महो. राजकीय दौरे/ कानून व्यवस्था/प्रोटोकॉल राज कार्य में व्यस्त होने के कारण दिनांक...16.2.18 के राजस्व मुकदयात में आगामी तारीख पेशी दिनांक...23.2.18 नियत की जाती है।</p>	
	<p>पीठासीन अधिकारी महो. राजकीय दौरे/ कानून व्यवस्था/प्रोटोकॉल राज कार्य में व्यस्त होने के कारण दिनांक...23.2.18 के राजस्व मुकदयात में आगामी तारीख पेशी दिनांक...11.4.18 नियत की जाती है।</p>	
-18	<p>पत्रावली पेश हुई। वकील उपस्थित है। का. ललबाना पुनः पेश करी दिनांक 22-4-18 को पेश हो।</p>	
4 18	<p>पत्रावली आज पेश हुई। उभयपक्ष उप पत्रावली लोक अदालत में दिनांक 28.5.18 को अडोला में पेश हो।</p>	21
18	<p>पत्रावली आज न्याय जापके हासिल के अलावा लोक अदालत में दिनांक अडोला पेश हुई। अपीलार्थी गण उप प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार से है जो गाम जगमोदा के गल खस 347 खस पक्षीया 7 खस। नारायण पु छोड़ गुप्तर के नाम अकिला/दुर्ग रिपोर्ट है। अपीलार्थी अनुसार नारायण पु छोड़ की संपु होने पर उसकी विरासत का नाम नारायण नं० स० 56 पत्राव पु. नारायण के नाम दुर्ग दर निर्णित कर दिया गया जो कि</p>	

तारीख हुयम	हुयम या कार्यावाही मय इनिशियलस जज	नामा अधिकार सादी
	<p>गलत निर्णित किया गया। उनके अनुसार साल नारायण के तीन पुत्रों के नामों का तीनों पुत्रों के नाम स्वीकृत होना चाहिए था। इसलिए नामान्तरकरण सं 56 निरस्त कर पुना समस्त वारिसान एक नारायण पुत्र छोड़ गुर्जर के नाम दर्ज होना चाहिए। अपीलियों ने अपील में सज्जरा खानदान के अंकन के अलावा अन्य कोई दस्तावेजात/साक्ष्य प्रस्तुत नारायण पुत्र छोड़ गुर्जर के वैधानिक वारिसान पक्ष पर ही किया।</p> <p>पत्रावली का अवलोकन कर मनन करने पर पाया कि नारायण पुत्र छोड़ गुर्जर के वैधानिक वारिसान की जांच होनी चाहिए। अतः अपील अपीलियों स्वीकार की जाती है एवं ग्राम अजमादा का नामान्तरकरण सं 56 का निर्णय दिनांक 11.6.72 निरस्त कर प्रकरण वहसीलदार को इस निर्देश के साथ रिमांड किया जाता है कि वे प्रकरण में जो नारायण पुत्र छोड़ गुर्जर के वैधानिक वारिसान की जांच कर समस्त पक्षकारों के पक्ष को सुनकर नियमता एक माह में पुनः निर्णित करे। पत्रावली फाइल नुमा हो दर्ज नठसे कम हो।</p>	